क्रम संख्या–214 (ग)

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0–30 / 2009
(लाईसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, बुधवार, 16 नवम्बर, 2011 ई0

कार्तिक 25, 1933 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

संख्या 485 / 11–XIX–2 / 12 खाद्य / 2008

देहरादून 16 नवम्बर, 2011

अधिसूचना

प0 आ0–135

राज्यपाल, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (अधिनियम संख्या 68, वर्श 1986,) की धारा 30 की उपधारा (2) के अधीन प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विशय में पूर्व में जारी समस्त विशयों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थातः

उत्तराखण्ड उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 2011

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 2011 है।

(2) यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2. (1) इस नियमावली में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः

(क) **'अधिनियम'** से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (अधिनियम संख्या 68, वर्ष 1986) अभिप्रेत है;

(ख) **'अभिकर्ता (एजेन्ट)'** से किसी पक्ष (पार्टी) द्वारा उसकी ओर से, यथास्थिति, राज्य आयोग या जिला फोरम के सम्मुख कोई शिकायत अपील या उत्तर प्रस्तुत करने के लिए सम्यक रुप से प्राधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ग) **'अपीलार्थी'** से ऐसा पक्ष अभिप्रेत है जो जिला फोरम के आदेश के विरुद्ध अपील करता है;

(घ) **'ज्ञापन'** से अपीलार्थी द्वारा दायर अपील का ज्ञापन अभिप्रेत है;

(ड) **'विरोधी पक्षकार'** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो शिकायत या दावे का उत्तर देता है;

(च) **'अध्यक्ष'** से यथास्थिति राज्य आयोग या जिला फोरम का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(छ) **'प्रतिवादी'** से अपील के ज्ञापन/पुनरीक्षण का उत्तर देने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ज) **'राज्य'** से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;

(झ) **'राज्य आयोग'** से अधिनियम की धारा 9 के खण्ड (ख) के अधीन स्थापित उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अभिप्रेत है;

(2) शब्द और पद जिनका इस नियमावली में प्रयोग किया गया है लेकिन परिभाषित नहीं किया गया है और जिन्हें अधिनियम में परिभाषित किया गया है, उनके क्रमशः वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में दिए गए हैं।

जिला फोरम के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और अन्य भत्ते और निर्बन्धन और शर्तें: धारा 10(3)—

3. (1) (क) जिला फोरम का अध्यक्ष यदि पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाये तो जिला न्यायालय के जिला न्यायाधीश का वेतन प्राप्त करेगा, यदि अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया जाता है तो रूपये 400/— (रूपये चार सौ मात्र) प्रति बैठक मानदेय प्राप्त करेगा।

(ख) जिला फोरम का सदस्य यदि पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाये तो रूपये 10,176/—(रूपये दस हजार एक सौ छियत्तर मात्र) प्रति माह मानदेय और यदि अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया जाये तो रूपये 300/—(रूपये तीन सौ मात्र) प्रति बैठक मानदेय प्राप्त करेगा।

(ग) जिला फोरम का अध्यक्ष प्रति माह रूपये 2,400/—(रूपये दो हजार चार सौ मात्र) मकान किराया भत्ता प्राप्त करेगा यदि वह पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाये और कोई सरकारी आवासीय सुविधा की व्यवस्था नहीं की गई हो।

(घ) जिला फोरम का सदस्य रूपये 1,800/–(रूपये एक हजार आठ सौ मात्र) प्रतिमाह मकान किराया भत्ता प्राप्त करेगा यदि कोई सरकारी आवासीय सुविधा की व्यवस्था नहीं की गई हो।

(ड.) जिला फोरम का अध्यक्ष यदि पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाये तो रूपये 1,830/– (रूपये एक हजार आठ सौ तीस मात्र) प्रति माह वाहन भत्ता प्राप्त करेगा।

(च) जिला फोरम का सदस्य यदि पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाये तो रूपये 1,830/– (रूपये एक हजार आठ सौ तीस मात्र) प्रति माह वाहन भत्ता और यदि अंशकालिक आधार नियुक्त किया जाये तो रूपये 50/–(रूपये पचास मात्र) प्रति बैठक वाहन भत्ता प्राप्त करेगा।

(छ) जिला फोरम के अध्यक्ष व सदस्य, यदि पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किये गये हों, ऐसी चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने के हकदार होंगे जो राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारी को अनुमन्य है।

(2) जिला फोरम के अध्यक्ष और सदस्य सरकारी दौरे पर ऐसे यात्रा भत्ता और दैनिक भत्तों के हकदार होंगे, जो राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारी को अनुमन्य हैं।

(3) वेतन, भत्ते और अन्य भत्ते राज्य सरकार की संचित निधि से भुगतान किये जायेंगे।

(4) नियुक्ति के पूर्व, जिला फोरम के अध्यक्ष और सदस्यों को यह परिवचन करना होगा कि उसका कोई ऐसा वित्तीय या अन्य हित नहीं है और न होगा जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

(5) धारा 12 (2) के उपबन्धों के अतिरिक्त राज्य सरकार जिला फोरम अध्यक्ष तथा सदस्य को पद से हटा सकती है, जैसे–

(क) जो दिवालिया अधिनिर्णीत हुआ है, या

(ख) जो अपराध के लिए दोषसिद्ध हुआ है जो कि राज्य सरकार की राय मे नैतिक अधमता अन्तर्गत है, या

(ग) जो सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक, मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है, या

(घ) जो ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किया हो जिससे सदस्य के रूप में उनके कार्य संचालन में प्रतिकूल प्रभाव डालते हों, या

(ड.) जिसने अपनी स्थिति का इस प्रकार दुरूपयोग किया हो कि पद पर बने रहने पर जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, या

(च) जो अधिनियम के अधीन, और पूर्व दृष्टान्त और कार्य के साथ अनुरूपता में उपर्युक्त निर्णय और आदेश नहीं पारित करते, और पूर्ण सत्यनिष्ठा, सद्व्यवहार तथा कर्त्तव्यपरायणता प्रदर्शित नहीं करता है, या

(छ) जो बिना अनुमति के सात दिनों से ज्यादा स्पष्ट अनुपस्थिति का दोषी है।

परन्तु यह कि अध्यक्ष या सदस्य को इस उपनियम के खण्ड (घ) और (ड.) में विनिर्दिष्ट आधार पर उसके पद से हटाया नहीं जायेंगे सिवाय राज्य सरकार द्वारा ऐसी प्रक्रिया के अनुसार जैसी वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, की गई जाँच के द्वारा जिसमें सदस्य को ऐसे आधार पर दोषी पाया जाये।

(6) जिला फोरम के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा में निर्बन्धन और शर्तों को उनकी पदावधि के दौरान उनके लिए अहितकर रूप से परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

(7) जहां जिला फोरम के अध्यक्ष के पद पर कोई रिक्ति होती है, वहॉ तत्समय पद धारण करने वाला जिला फोरम का ज्येष्ठतम (नियुक्ति क्रम में) सदस्य तब तक अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा जब तक अध्यक्ष फिर से अपने कृत्यों को संभाल न ले।

परन्तु जहाँ जिला फोरम के अध्यक्ष के पद पर कोई रिक्ति होती है और ज्येश्ठतम सदस्य द्वारा अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे कोई भी वित्तीय या प्र" ाासनिक अधिकार नहीं होंगे।

(8) अध्यक्ष या कोई सदस्य, इस रूप में पद पर न रह जाने पर, किसी ऐसे संगठन के प्रबंध या प्रशासन में या उसमें सम्बद्ध, जो उसकी पदावधि के दौरान अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही का विषय रहा हो, उस दिनांक से जब वह ऐसे पद पर नही रह जाता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए कोई पद धारण नहीं करेगा।

जिला फोरम से सम्बन्धी बैठक का स्थान और अन्य विषयः धारा 14(3)

4. (1) जिला फोरम का कार्यालय जिले के मुख्यालय पर अवस्थित होगा। जहाँ राज्य सरकार ऐसा एक जिला फोरम जिसकी जिले में एक से अधिक अधिकारिता हो, स्थापित करने का विनिश्चय करती है, वहाँ वह इस प्रकार स्थापित जिला फोरम के स्थान और अधिकारिता को अधिसूचित करेगी।

(2) जिला फोरम का कार्य दिवस और कार्यालय समय वही होगा जो राज्य सरकार का हैं।

(3) जिला फोरम की शासकीय मुद्रा और संप्रतीक ऐसा होगा जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे।

(4) जिला फोरम की बैठक, जब कभी आवश्यक हो, अध्यक्ष द्वारा बुलाई जायेगीं

(5) जिला फोरम का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई दोष है।

(6) राज्य सरकार ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी जो जिला फोरम के दिन प्रतिदिन के कार्य में सहायता करने और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक हो जो इस नियमावली में उपबंधित किये गये हों। ऐसे कर्मचारियों को देय वेतन राज्य सरकार की संचित निधि से संदत्त किये जायेंगे।

(7) जहां विरोधी पक्षकार परिवादी द्वारा किये गये अभिकथन को स्वीकार करता है, वहाँ जिला फोरम मामले के गुणदोष और उनके समक्ष प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों के आधार पर परिवाद का विनिश्चय करेगा।

(8) यदि धारा 13 के अधीन संचालित कार्यवाहियों के दौरान जिला फोरम पक्षकरों की सुनवाई के लिये कोई दिनांक निशचित करता है, तो परिवादी और विरोधी पक्षकार या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को जिला फोरम के समक्ष सुनवाई के ऐसे दिनांक को या किसी अन्य दिनांक को जिस दिन के लिए सुनवाई स्थगित की जाये, उपस्थित होना बाध्यकर होगा। जहॉ परिवादी या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता ऐसे दिनांक को जिला फोरम के समक्ष उपस्थित होने में असफल रहता है, वहॉ जिला फोरम स्वविवेकानुसार या तो परिवाद को व्यतिक्रम के लिए खारिज कर सकता है या गुणावगुण के आधार पर उसका विनिश्चय कर सकता है। जहां विरोधी पक्षकार या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता सुनवाई के दिनांक को उपस्थित होने में असफल रहता है, वहॉ जिला फोरम परिवाद का विनिश्चय एकपक्षीय कर सकता है।

(9) उपनियम (8) के अधीन कार्यवाही के दौरान, जिला फोरम ऐसे निर्बन्धनों पर जैसा वह उचित समझे और किसी प्रक्रम पर परिवाद की सुनवाई को स्थगित कर सकता है, किन्तु साधारणतया एक से अधिक स्थगन नहीं दिया जायेगा और परिवाद का विनिश्चय विरोधी पक्षकार द्वारा नोटिस प्राप्त होने के दिनांक से 90 दिन के भीतर, यदि परिवाद में वस्तुओं के विश्लेषण या परीक्षण की अपेक्षा न हो, किया जायेगा। जहाँ परिवाद में वस्तुओं के विश्लेषण या परीक्षण की आवश्यकता हो वहां परिवाद का विनिश्चय 150 दिन के भीतर किया जायेगा।

(10) जिला फोरम के आदेश पर जिला फोरम के सदस्यों द्वारा, जिससे पीठ का गठन हुआ है, हस्ताक्षर किया जायेगा और दिनांक डाला जायेगा और उसकी संसूचना पक्षकारों को निःशुल्क दी जायेगी।

वस्तुओं के विश्लेषण और परीक्षण के लिए जिला फोरम के द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाः धारा 13(1)(ग)

5. (1) धारा 13(1)(ग) के अधीन, यदि आवश्यक समझा जाये तो जिला फोरम स्वच्छ संधारकों में जिन पर समुचित रूप से स्टापर लगा हो, एक से अधिक वस्तुओं के नमूने की व्यवस्था करने के लिए परिवादी को निर्देश दे सकता है।

(2) ऐसी वस्तुओं के नमूने प्राप्त होने पर, जिला फोरम उसे मुहरबन्द करेगा और संधारकों पर लेबल लगायेगा जिस पर निम्नलिखित सूचना होगी–

(क) समुचित प्रयोगशाला का, जिसको नमूना विश्लेषण के लिए भेजा जायेगा, नाम और पता

(ख) जिला फोरम का नाम और पता

(ग) मामला संख्या

(घ) जिला फोरम की मुद्रा

(3) नमूना जिला फोरम द्वारा 45 दिन के भीतर या ऐसी बढ़ायी गई अवधि के भीतर जो जिला फोरम द्वारा अभिकथित त्रुटि का प्रकार और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का दिनांक विनिर्दिष्ट करने के पश्चात स्वीकृत की जाये, रिपोर्ट भेजने के लिए समुचित प्रयोगशाला को भेजा जायेगा।

राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और अन्य भत्ते और निर्बन्धन और शर्तें: धारा 16(2)

6. (1) (क) राज्य आयोग का अध्यक्ष यदि पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाये तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें, यदि अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया जाये तो बैठक के लिए प्रतिदिन रूपये 500/– (रूपये पांच सौ मात्र) का संचित मानदेय प्राप्त करेगा। राज्य आयोग के सदस्य यदि पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त हैं, तो प्रतिमास रूपये 15,262/– (रूपये पन्द्रह हजार दौ सौ बासठ मात्र) का समेकित मानदेय और यदि अंशकालिक आधार पर नियुक्त हैं तो प्रति बैठक के लिए रूपये 400/– (रूपये चार सौ मात्र) का समेकित मानदेय प्राप्त करेंगे।

(ख) राज्य आयोग का अध्यक्ष किराया मुक्त सरकारी आवासीय सुविधा का हकदार होगा। यदि राज्य आयोग के अध्यक्ष को ऐसी सुविधा नहीं उपलब्ध होती है, तो वह आवासीय किराया भत्ता उच्च न्यायलय के न्यायाधीश के समान प्राप्त करेगा।

(ग) राज्य आयोग का अध्यक्ष शासकीय वाहन का हकदार होगा तथा उनको उच्च न्यायालय में कार्यरत न्यायाधीश के रूप में प्राप्त वाहन के अनुसार डीजल/पैट्रोल अनुमन्य होगा। वह उन सभी सुविधा व भत्तों को प्राप्त करने का भी हकदार होगा जो उच्च न्यायालय में कार्यरत न्यायाधी" ा को अनुमन्य हैं।

(घ) राज्य आयोग के सदस्यगण रूपये 2,500/—(रूपये दो हजार पांच सौ मात्र) प्रति माह वाहन भत्ता प्राप्त करेंगे।

(ड.) राज्य आयोग के सदस्य किराया मुक्त सरकारी आवासीय सुविधा के हकदार होंगे। यदि राज्य आयोग के सदस्यों को ऐसी सुविधा नहीं उपलब्ध होती है तो वह प्रतिमाह रूपये 3,000/— (रूपये तीन हजार मात्र) आवासीय भत्ता प्राप्त करेंगे।

(च) राज्य आयोग का सदस्य, यदि पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया गया है, ऐसी चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने का हकदार होगा जो राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारी को अनुमन्य है।

(2) राज्य आयोग का अध्यक्ष सरकारी दौरे पर ऐसे यात्रा भत्ता और दैनिक भत्तों का हकदार होगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अनुमन्य हों।

(3) राज्य आयोग के सदस्य सरकारी दौरे पर ऐसे यात्रा भत्ता और दैनिक भत्तों के हकदार होंगे जो राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारी को अनुमन्य हों।

(4) वेतन, मानदेय एवं अन्य भत्ते राज्य सरकार की संचित निधि से अदा किये जायेंगे।

(5) राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्य पॉच वर्ष की अवधि या 67 वर्ष की आयु तक, इनमें जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे और पुनः नाम निर्देशन के पात्र होंगे।

परन्तु अध्यक्ष और सदस्य—

(क) किसी भी समय राज्य सरकार को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकते हैं।

(ख) उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसार अपने पद से हटाये जा सकते ।

(6) राज्य सरकार राज्य आयोग के ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को पद से हटा सकती है—

(क) जो दिवालिया अधिनिर्णीत हुआ है; या

(ख) जो अपराध के लिए दोषसिद्ध हुआ है जो कि राज्य सरकार की राय मे नैतिक अधमता अन्तर्गत है; या

(ग) जो सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है; या

(घ) जिसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किया हो जिससे सदस्य के रूप में उनके कार्य संचालन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(ड.) जिसने अपने पद का इस प्रकार दुरूपयोग किया है जिससे उसके पद पर बने रहने से लोक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

परन्तु यह कि अध्यक्ष या सदस्य को उपनियम (6) के खण्ड (घ) और (ड.) में विनिर्दिष्ट आधार पर उसके पद से हटाया नहीं जायेगा सिवाय राज्य सरकार द्वारा ऐसी प्रक्रिया के अनुसार जैसी वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें, की गई जाँच के द्वारा और जिसमें सदस्य को ऐसे आधार पर दोषी पाया जाये।

(7) नियुक्ति के पूर्व, राज्य आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को यह परिवचन करना होगा कि उसका कोई ऐसा वित्तीय या अन्य हित नहीं है और न होगा जिससे सदस्य के रूप में उसका कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

(8) राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तों का उनकी पदावधि के दौरान उनके लिए अहितकर रूप से परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

(9) उपधारा (5) के अधीन या अन्यथा राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य के त्यागपत्र या हटाये जाने के कारण हुई प्रत्येक रिक्ति नई नियुक्ति द्वारा भरी जायेगी।

(10) जहां राज्य आयोग के अध्यक्ष के पद पर कोई ऐसी रिक्ति होती है या वह तत्समय पद निर्वहन करने में असमर्थ हो, तब राज्य आयोग का ज्येष्ठतम (नियुक्ति के क्रम में) सदस्य उस दिन तक अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा जब तक अध्यक्ष फिर से अपने कृत्यों को संभाल न लेः

परन्तु यह कि जहां राज्य आयोग के अध्यक्ष के पद पर रिक्ति है और राज्य आयोग के ज्येष्ठतम सदस्य द्वारा अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसे कोई वित्तीय या प्रशासनिक अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

(11) अध्यक्ष या कोई सदस्य, इस रूप में पद पर न रह जाने पर, किसी संगठन के प्रबंध या प्रशासन में या उससे सम्बद्ध जो उसकी पदावधि के दौरान अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही का विषय रहा हो, उस दिनांक से जब तक वह ऐसे पद पर नहीं रह जाता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए कोई पद धारण नहीं करेगा।

राज्य आयोग के बैठक का स्थान और उससे सम्बन्धित अन्य विषय धारा 18 के साथ पठितः धारा 14(3)

7. (1) राज्य आयोग का कार्यालय राज्य की राजधानी में अवस्थित होगा।

(2) राज्य आयोग के कार्य दिवस और कार्यालय समय वहीं होगा जैसा राज्य सरकार का है।

(3) राज्य आयोग की शासकीय मुद्रा और संप्रतीक ऐसा होगा, जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे।

(4) राज्य आयोग की बैठक, जब कभी आवश्यक हो, अध्यक्ष द्वारा बुलाई जायेगी।

(5) राज्य आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्ति है या उनके गठन में कोई दोष है।

(6) राज्य सरकार ऐसे कर्मचारियों को नियुक्त करेगी जो राज्य आयोग को उसके कार्य में सहायता करने और ऐसे अन्य कृत्यों को निर्वहन करने के लिए आवश्यक हो जो इस नियमावली में उपबन्धित किये गये हों या अध्यक्ष द्वारा उसे सौंपे गये हो। ऐसे कर्मचारियों का देय वेतन राज्य सरकार की संचित निधि से अदा किये जायेंगे।

(7) जहाँ विरोधी पक्षकार परिवादी द्वारा किये गये अभिकथन को स्वीकार करता है, वहाँ राज्य आयोग मामले के गुणदोष के और उसके समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर परिवाद का विनिश्चय करेगी।

(8) यदि धारा 13 के अधीन संचालित कार्यवाही के दौरान राज्य आयोग पक्षकारों की सुनवाई के लिए कोई दिनांक निश्चित करता है, तो प्रतिवादी और विरोधी पक्षकार या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को राज्य आयोग के समक्ष सुनवाई के ऐसे दिनांक को या किसी अन्य दिनांक को जिस दिन के लिए सुनवाई स्थगित की जाये, उपस्थित होना बाध्यकर होगा। जहाँ परिवादी या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता राज्य आयोग के समक्ष ऐसे दिनांक को उपस्थित होने में असफल रहता है, वहाँ राज्य आयोग स्वविवेकानुसार या तो परिवाद को व्यतिक्रम के लिए खारिज कर सकता है अथवा गुणावगुण के आधार पर उसका विनिश्चय कर सकता हैं। जहाँ विरोधी पक्षकार या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता सुनवाई के लिए दिनांक को उपस्थित होने में असफल रहता है, वहाँ राज्य आयोग परिवाद का विनिश्चय एकपक्षीय कर सकता है।

(9) उपनियम (8) के अधीन कार्यवाही के दौरान राज्य आयोग ऐसे निर्बन्धनों पर जैसा वह उचित समझे और किसी प्रक्रम पर परिवाद की सुनवाई को स्थगित कर सकता है, किन्तु साधारणतया एक से अधिक

स्थगन नहीं दिया जायेगा और परिवाद का विनिश्चय विरोधी पक्षकार द्वारा नोटिस प्राप्त होने के दिनांक से 90 दिन के भीतर, यदि परिवाद में वस्तुओं के विश्लेषण या परीक्षण की अपेक्षा न हो और 150 दिन के भीतर यदि वस्तुओं के विश्लेषण या परीक्षण की अपेक्षा हो, किया जायेगा।

(10) राज्य आयोग के आदेश पर राज्य आयोग के सदस्यों द्वारा, जिनसे पीठ का गठन हुआ है, हस्ताक्षर किया जायेगा और दिनांक डाला जायेगा और उसकी सूचना पक्षकारों को निःशुल्क दी जायेगी।

अपील की सुनवाई के लिए प्रक्रियाः धारा 15

8. (1) ज्ञापन अपीलार्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से राज्य आयोग को प्रस्तुत किया जायेगा या आयोग के पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जायेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रस्तुत ज्ञापन सुपाठ्य हस्तलेख में, अधिमानतः टंकित, होगा और बिना किसी तर्क या वृतान्त के अपील के आधार स्पष्ट शीर्षकों के अधीन संक्षिप्त रूप से दिये जायेंगे और ऐसे आधार क्रम से संख्यांकित किये जायेंगे।

(3) प्रत्येक ज्ञापन के साथ जिला फोरम के आदेश की, जिसके विरूद्ध अपील की गई हो, अभिप्रमाणित प्रति और दस्तावेज (उपभोक्ता परिवाद, जवाबदावा, एवं साक्ष्य) जो ज्ञापन में उल्लिखित आपत्ति के आधार का समर्थन करने के लिए अपेक्षित हो, होंगे।

(4) जब अपील अधिनियम में विनिर्दिष्ट परिसीमा काल की समाप्ति के पश्चात् प्रस्तुत की जाये, तब ज्ञापन के साथ एक आवेदन होगा जो ऐसे शपथ–पत्र द्वारा समर्थित होगा जिसमें ऐसे तथ्य दिये जायेंगे जिनके आधार पर अपीलार्थी राज्य आयोग का यह समाधान करने के लिए निर्भर हो कि उसके पास परिसीमा काल के भीतर अपील प्रस्तुत न करने का पर्याप्त कारण है।

(5) अपीलार्थी ज्ञापन की तीन प्रतियां आयोग के लिए तथा विपक्षीगण के लिए अतिरिक्त प्रतियां प्रस्तुत करेगा।

(6) प्रत्येक ज्ञापन के साथ पक्षकारों को नोटिस आदि जारी करने हेतु जो डाक टिकट अपेक्षित हो, होंगे।

(7) सुनवाई के दिनांक को या किसी अन्य दिनांक को जब तक के लिए सुनवाई स्थगित की जाये, पक्षकारों या उनके प्राधिकृत अभिकर्ताओं को राज्य आयोग के समक्ष उपस्थित होना बाध्यकर होगा। यदि अपीलार्थी या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता ऐसे दिनांक को उपस्थित होने में असफल रहता है तो राज्य आयोग, स्वविवेकानुसार या तो अपील को

खारिज कर सकता है या मामले के गुणावगुण के आधार पर उसे विनिश्चित कर सकता है। यदि प्रत्यर्थी या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता ऐसे दिनांक को उपस्थित होने में असफल रहता है तो राज्य आयोग एकपक्षीय कार्यवाही करेगा और मामले के गुणावगुण के आधार पर अपील का एकपक्षीय विनिश्चिय करेगा।

(8) अपीलार्थी राज्य आयोग की अनुमति के सिवाय ज्ञापन में दी गई आपत्तियों के किसी आधार के समर्थन में न तो किसी बात पर जोर देगा और न ही उसकी सुनवाई की जायेगी, किन्तु राज्य आयोग अपील का विनिश्चय करते समय ज्ञापन में दी गई या इस नियम के अधीन राज्य आयोग की अनुमति से प्राप्त आपत्ति के आधारों तक सीमित नहीं रहेगा।

परन्तु यह कि राज्य आयोग अपना विनिश्चय किन्हीं अन्य आधारों पर तब तक आधारित नहीं करेगा जब तक कि राज्य आयोग उससे प्रभावित हो सकने वाले पक्षकार को सुनवाई का कम से कम एक अवसर नहीं दे देता है।

(9) राज्य आयोग ऐसे निर्बन्धनों पर जैसा कि उचित समझे और किसी प्रक्रम पर अपील की सुनवाई को स्थगित कर सकता है किन्तु साधारणतया एक से अधिक स्थगन नहीं दिया जायेगा और अपील का विनिश्चय सुनवाई के प्रथम दिनांक से 90 दिन भीतर किया जाना चाहिए।

(10) अपील पर राज्य आयोग के आदेश पर राज्य आयोग के सदस्यों द्वारा, जिनसे पीठ का गठन हुआ है, हस्ताक्षर किया जायेगा और संसूचना पक्षकरों को निःशुल्क दी जायेगी।

9. (1) राज्य आयोग का अध्यक्ष जिला फोरम के पूर्णकालिक अध्यक्ष के विरूद्ध प्राप्त शिकायत को स्वयं ही जाँच कर सकता है या राज्य आयोग के सदस्य को या निबंधक को उसके लिए नामांकित कर सकता है।

(2) जिला फोरम के सदस्यों के विरूद्ध प्राप्त शिकायत पर जाँच राज्य आयोग के अध्यक्ष या राज्य अयोग के सदस्य या राज्य आयोग के निबंधक द्वारा या जिला फोरम का पूर्णकालिक अध्यक्ष, जो राज्य आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामांकित किया गया है, के द्वारा की जायेगी।

(3) राज्य आयोग के सदस्य के विरूद्ध प्राप्त शिकायत पर जाँच राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार–विम" ा से राज्य सरकार द्वारा नामांकित उच्च न्यायालय के किसी आसीन जज द्वारा संचालित की जायेगी।

(4) जिला फोरम के अशंकालिक अध्यक्ष, जो कि जिला जज या अतिरिक्त जिला जज के रूप में आसीन है, के विरूद्ध प्राप्त शिकायत पर जाँच राज्य आयोग के अध्यक्ष की संस्तुति पर उच्च न्यायालय द्वारा की जायेगी।

(5) राज्य आयोग के अध्यक्ष के विरूद्ध प्राप्त शिकायत पर जाँच राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विचार–विमर्श से किसी उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त या आसीन मुख्य न्यायाधीश द्वारा धारित की जायेगी।

(6) उपनियम (1), (2), (3) या (4) के अधीन, जाँच के आधार पर, यदि अधिकारी दोषी पाया जाता है, तब राज्य आयोग के अध्यक्ष की संस्तुति के बाद या राज्य आयोग के अध्यक्ष के मामले में जाँच अधिकारी की जाँच रिपोर्ट तथा संस्तुतियों की उचित परीक्षा तथा राय कायम करने के बाद राज्य सरकार दोषी अधिकारी को नियम 3 के उपनियम (5) या नियम 6 के उपनियम (6) के अधीन, यथास्थिति, हटाने का आदेश निर्गत कर सकती है।

नियम (9) के अधीन जाँच के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अनुसारित की जायेगी, नामत

10. (1) शिकायत प्राप्त होने के बाद शिकायत की एक प्रतिलिपि पंजीकृत डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत् रूप से शिकायतकर्ता को भेजी जायेगी तथा उस शिकायतकर्ता को शिकायत शपथपत्र पर पेश करने या शिकायत में समाहित अभिकथन के सम्बन्ध में साक्ष्य उपबन्ध करने के लिए निदेश दिया जायेगा।

(2) शपथपत्र या कथन को प्रस्तुत करने पर, यदि कोई हो, प्रभावी बनाने के लिए कि साक्ष्य को शिकायतकर्ता द्वारा दिया जायेगा या सदस्य, जिसके विरूद्ध शिकायत में अभिकथन है, को शिकायत की प्रतिलिपि दी जायेगी तथा इसका उत्तर या स्पष्टीकरण अपचारी द्वारा 15 दिन के भीतर देना होगा।

(3) अनुज्ञात समय के अधीन अपचारी अध्यक्ष या सदस्य द्वारा उत्तर/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने पर, राज्य आयोग का अध्यक्ष समुचित विनिश्चय करेगा कि जाँच आगे चलाई जाय या अभिलेखों को परेषण करे। यदि किसी मामले में राज्य आयोग का अध्यक्ष जिला फोरम के अपचारी अध्यक्ष या सदस्य या राज्य आयोग के सदस्य, यथास्थिति के विरूद्ध जाँच प्रक्रिया प्रारम्भ करने का निश्चय करता है, तो अपचारी सदस्य या अध्यक्ष का निलम्बन राज्य आयोग के अध्यक्ष की संस्तुति पर किया जा सकता है। राज्य सरकार उस पर समुचित कार्यवाही करेगी। अध्यक्ष या सदस्य, यथास्थिति, जिसके विरूद्ध कार्यवाही चल रही है के निलम्बन पर, केवल 50 प्रतिशत मानदेय/वेतन अदा किया जायेगा।

(4) जाँच करने का विनिश्चय करते समय, राज्य आयोग का अध्यक्ष स्वयं ही जाँच कर सकता है या राज्य आयोग के सदस्य या निबंधक को नामांकित कर सकता है।

(5) अध्यक्ष या जाँच अधिकारी, यथास्थिति, अपचारी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने का विनिश्चय करते समय, आरोप पत्र राज्य आयोग के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित होकर तद्नुसार विरचित किया जायेगा।

(6) दस्तावेजी साक्ष्य की प्रतिलिपियां और गवाहों की सूची उनके कथन भी, यदि कोई हो, के साथ आरोप–पत्र अपचारी अध्यक्ष या सदस्य को आफिस अभिलेख में उपलब्ध पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेजी जायेगी या व्यक्तिगत् रूप से तामील की जायेगी। यदि आरोप–पत्र कथित तरीके से तामील नहीं किया जा सकता है, तब आरोप–पत्र स्थानीय अखबार में प्रकाशित किया जायेगा। अखबार में प्रकाशित करने पर, तामील पर्याप्त मानी जायेगी तथा आगे की कार्यवाही दो सप्ताह या ऐसे प्रकाशन के बाद की जायेगी।

(7) अपचारी अध्यक्ष या सदस्य, यथास्थिति, से लिखित उत्तर, यदि कोई हो, आरोपों की प्राप्ति से 15 दिन के भीतर जमा किया जायेगा। यह जाँच की जायेगी कि वह किसी गवाह से जिरह का इच्छुक है तथा प्रतिरक्षा में क्या साक्ष्य दाखिल करने का इरादा रखता है। उसे यह संकेत भी दिया जायेगा कि यदि अनुबद्ध अवधि के भीतर अपेक्षित सूचना पेश नहीं की जाती है तो यह उपधारणा की जायेगी कि उसके पास कोई उपलब्ध सामग्री नहीं है तथा तद्नुसार जाँच एकपक्षीय की जायेगी।

(8) जहाँ अपचारी अध्यक्ष या सदस्य, यथास्थिति, उपस्थित होता है तथा किये गये अभिकथनों को स्वीकार करता है, राज्य आयोग का अध्यक्ष या जाँच अधिकारी किये गये अभिकथनों के आधार पर रिपोर्ट पेश करेगा।

(9) जहाँ अपचारी अध्यक्ष या सदस्य, यथास्थिति, अभिकथनों और उसके विरूद्ध लगाये गये आरोपों को अस्वीकार करता है, तो राज्य आयोग का अध्यक्ष या जाँच अधिकारी अपचारी अध्यक्ष या सदस्य की उपस्थिति में प्रस्तावित साक्ष्यों के कथनों की रिकार्ड कर कार्यवाही करेगा। गवाहों को जिरह करने का अवसर दिया जायेगा और प्रक्रिया का पूरा रिकार्ड सुरक्षित रखा जायेगा।

(10) उन प्रक्रियाओं में अपचारी अधिकारी को सत्य का पता लगाने के लिए किसी अभिलेख को पेश करने के लिए कहा जा सकता है या

बुलाया जा सकता है।

(11) सम्पूर्ण जाँच प्रक्रियाओं के पूर्ण होने पर, यदि जाँच किसी अधिकारी द्वारा संचालित की जा रही है न कि राज्य आयोग के अध्यक्ष द्वारा, तो जाँच की रिपोर्ट राज्य आयोग के अध्यक्ष के समक्ष पेश की जायेगी। जाँच अधिकारी की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में कोई संस्तुति/टिप्पणी नहीं करेगा।

(12) सम्पूर्ण जाँच प्रक्रियाओं के पूर्ण होने पर, राज्य आयोग के अध्यक्ष द्वारा विनिश्चय किया जायेगा कि अभिकथन साबित हुये है या नहीं। यदि अभिकथन नहीं साबित हुये हैं तो राज्य आयोग का अध्यक्ष अपचारी अधिकारी व सरकार को सूचित कर सकता है कि अभिकथन साबित नहीं हुये हैं। अपचारी अधिकारी सरकार द्वारा बहाल किया जायेगा यदि वह निलम्बन के अधीन था और निलम्बन की अवधि के लिये पूरा वेतन/मानदेय अदा किया जायेगा।

(13) राज्य आयोग के अध्यक्ष के विनिश्चय करने पर कि अभिकथन साबित हो गये है, अपचारी अधिकारी को सूचना से 15 दिन के भीतर प्रतिनिधित्व पेश करने की स्वतन्त्रता होगी।

(14) राज्य आयोग का अध्यक्ष 30 दिनों के भीतर विनिश्चय सम्प्रेषित करेगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो प्रतिनिधित्व तथा दूसरे सम्बन्धित दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए, यदि कोई हो, कारणों को लिखित में रिकार्ड करने के लिए 30 दिनों के लिए दूसरी अवधि बढ़ायी जायेगी।

(15) यदि राज्य आयोग का अध्यक्ष महसूस करता है कि अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अभिकथन साबित हो गये हैं, तो अध्यक्ष दो सप्ताह के भीतर अपचारी अधिकारी को हटाने या पदच्युक्त करने के लिए राज्य सरकार से संस्तुति करेगा। राज्य सरकार राज्य आयोग के अध्यक्ष से संस्तुति प्राप्त होने पर, तद्नुसार उसकी प्राप्ति के एक माह के भीतर उचित आदेश निर्गत करेगा।

आज्ञा से,

सुबर्द्धन
अपर सचिव (स्वतंत्र प्रभार)